इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेशा राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 326]

भोपाल, शनिवार, दिनांक २७ जुलाई २०१९-श्रावण ५, शक १९४१

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2019

क्रमांक-एफ-3-8-2006-दस-1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा (भर्ती) नियम, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

- नियम 23 (क) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए,
 अर्थात् :--
 - "23(ख) राज्य वन सेवा के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी में नियुक्ति के लिये पात्रता की शर्ते :--
 - (1) "राज्य वन सेवा के केवल ऐसे अधिकारी अनुसूची—एक में यथा विनिर्दिष्ट वरिष्ठ प्रवर श्रेणी में नियुक्ति के लिये विचारण के लिए पात्र होंगे, जिन्होंने उक्त अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट प्रवर श्रेणी में उस वर्ष की पहली जनवरी को सेवा के 6 वर्ष पूर्ण कर लिए हों:

परन्तु आपात् आयोग तथा अल्प सेवा आयोग के निर्मुक्त अधिकारियों की सेवा की गणना, सेवा में उनकी नियुक्ति के पश्चात्, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2266 / 197 / 1(3) 67, दिनांक 21 अक्टूबर, 1967 के अनुसार अवधारित उनकी नियुक्ति की समझी गई तारीख से की जायेगी;

परन्तु यह और कि, कोई किनष्ट व्यक्ति, उससे विष्ठ व्यक्ति के पूर्व, इन नियमों के अधीन सेवा की विष्ठ प्रवर श्रेणी में नियुक्ति हेतु विचारण के लिए केवल इस आधार पर पात्र नहीं होगा कि उसने सेवा के विहित वर्ष पूर्ण कर लिए हैं।

- (2) राज्य वन सेवा के प्रवर श्रेणी में कार्यरत अधिकारियों को, अनुसूची—चार में दिये गये सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक समिति द्वारा, सेवा के विष्ठ प्रवर श्रेणी की नियुक्ति के लिए चयनित किए जाने हेतु विचार किया जाएगा।
- (3) चयन "वरिष्ठता-सह-योग्यता" के आधार पर किया जाएगा।
- (4) उक्त नियम दिनांक 13.04.2017 से प्रवृत्त हुये समझे जाएंगे।
- 2. अनुसूची-एक, दो तथा चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

अनुसूची – एक (नियम–5 देखिए) वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलत पदों की संख्या

विभाग	सेवा में	पर	दों की संख्य	 ग	वर्गीकरण	वितनमान	अभ्युक्तियां
की	सम्मिलित				-	1	3
नाम	पदों की						
	• संख्या			·		•	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	सहायक	196	1	197	द्वितीय श्रेणी	56,100-1,77,500	स्वीकृत पदों का
:	वन		•			राज्य शासन वेतन	
	संरक्षक—					पुनरीक्षण सारणी में	
	कनिष्ठ				1	लेवल-12	
İ	वेतनमान						
: :	सहायक	90		90	प्रथम श्रेणी	67,300-2,06,900	स्वीकृत पदों का
İ	वन					राज्य शासन वेतन	25%
!	संरक्षक—					पुनरीक्षण सारणी में	
:	वरिष्ट					लेवल13	
	वेतनमान			İ			·
वन	सहायक	54	_	54	–तदैव–	79,900-2,11,700	
विभाग	वन					राज्य शासन वेतन	
<u>.</u>	संरक्षक-				1	पुनरीक्षण सारणी में	
i	प्रवर श्रेणी					लेवल-14	; :
i	वेतनमान			<u> </u>			
	सहायक	18	'	18	–तदैव–	1,23,100-2,15,900	स्वीकृत पर्दो का
	वन			1		राज्य शासन वेतन्	5%
	संरक्षक-			i		पुनरीक्षण सारणी में	
	वरिष्ठ प्रवर		[लेवल—15	
	श्रेणी				Li suppositi		
	वेतनमान						
	योग	358	1	359			
· · · ·		L	1	<u> </u>		and the state of t	<u></u>

अनुसूची – दो (नियम–6 देखिए)

	(गया व यावर्)									
:	विभाग	सेवा का	संवर्ग में		। ३ के	वेतनमान में स्व	वीकृत पदों	कॉलम (6) में		
:	की	ं नाम	सहायक	अनुसार भरे जाने		की संख्या		उल्लिखित पदों की		
	नाम		वन	वाले प	ादों की			प्रतिशतता के अधीन		
		i i	संरक्षक के	संख्य	ा की			भरे जाएंगे		
:		ļ . !	कुल	प्रतिश	गतता	-				
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :			स्वीकृत पद	सीधी भर्ती	पदोन्नति द्वारा	वेतनमान	पदों की, संख्या	नियुक्ति (समयबद्ध)		
		;		द्वारा	*					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
	वन	मध्यप्रदेश : राज्य	359	33 1/3%	i	कनिष्ठ वेतनमान	197			
;	विभाग	वन सेवा				वरिष्ठ वेतनमान	90	100%		
	-	•				प्रवर श्रेणी	54	100%		
:					1	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी	18	100%		
/ !	τ	गेग	359	-			359			
1,					·	l	Li			

अनुसूची — चार (नियम —16, 17, 23, 23(क) एवं 23(ख) देखिये)

			, 20, 20(.)		
विभाग	शेवा या पद	सेवा या पद का नाम		विभागीय पदोन्नति समिति के	अभ्युक्ति
का	का नाम	जिस पर	वेतनमान हेतु न्यूनतम	सदस्यों	
नाग	जिससे	पदोन्नति / समयमान	अर्हता अवधि/अनुभव		
	पदोन्नति /	वेतनमान की जानी है	•		
	समयमान				
	वेतनमान की				
	जानी है				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
वन	1. मध्यप्रदेश	मध्यप्रदेश राज्य वन	नियम 17 के अनुसार	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा	
विभाग	राज्य वन	सेवा- सहायक वन		आयोग या उनके द्वारा	
	सेवा वन	संरक्षक		नामनिर्दिष्ट आयोग का कोई	
	क्षेत्रपाल	कनिष्ठ वेतनमान		सदस्य	
	(द्वितीय श्रेणी)			—अध्यक्ष	
				2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख	
				सचिव/मध्यप्रदेश शासन, वन	
				विभाग	
Ì		1		–सदस्य	
				3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं	
				वन बल प्रमुख	
				—सदस्य ————————————————————————————————————	
				4. अपर प्रधान मुख्य वन	
,				संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक	
				(प्रशासन—दो) — —सदस्य सचिव	
and the same of th				-सदस्य सायव 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित	
4				5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का नामनिर्दिष्ट	
				अधिकारी जो क्रमांक 4 के	
				समकक्ष श्रेणी का हो	
1			1	41 7 12 31 71 11 32 1 52 1	

	2. मध्यप्रदेश		नियम 23 के अनुसार	1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख
	राज्य वन सेवा–	सेवा—सहायक वन संरक्षक— वरिष्ठ		सचिव मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग —अध्यक्ष
	सहायक वन	वेतनमान		2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
	संरक्षक— (कनिष्ठ			वन बल प्रमुख — सदस्य 3. अपर प्रधान मुख्य वन
	वेतनमान)			संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक
				(प्रशासन-एक) -सदस्य ४. अपर सचिव/उप सचिव,
+				मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग—
				-सदस्य सचिव 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित
				जनजाति वर्ग के नामनिर्दिष्ट
		·		अधिकारी जो अनुक्रमांक 3 के समकक्ष श्रेणी का हो।
			-	

3. मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा—सहायक वन संरक्षक— वरिष्ठ वेतनमान	मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा—सहायक वन संरक्षक— प्रवर श्रेणी वेतनमान	नियम 23 (क) के अनुसार	-तदेव-	
4. मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा—सहायक वन संरक्षक— प्रवर श्रेणी वेतनमान	मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा—सहायक वन संरक्षक— वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान	नियम 23 (ख) के अनुसार	-तदैव - •	

No-F 3-8/2006/X-1— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh State Forest Service (Recruitment) Rules, 1977, namely:-

<u>AMENDMENT</u>

In the said rules,

- 1. After rule 23(A), the following rule shall be inserted, namely:-
- "23(B) Conditions of eligibility, for appointment to Senior Selection grade of the Officers of the State forest Service.
 - (1) Only such officers of the State Forest Service shall be eligible for consideration for appointment to the senior selection grade as specified in Schedule-I, who have completed 6 years of the service on the 1st January of that year in the selection grade as specified in the said schedule:

Provided that service of released officers of the Emergency Commission and Short Service Commission shall, after their apointment to the service, be counted from their deemed date of appointment determined in accordance with the General Administration Department's memorandum No. 2266/197/1(3) 67, dated the 21st October, 1967:

Provided further that no junior person shall be eligible for being considered for appointment to the Senior Selection Grade of the service under these rules prior to his senior merely on the ground of having completed the prescribed number of years of service.

- (2) Officers working in the Selection Grade of the State Forest Service shall be considered for being selected for appointment to the Senior Selection Grade of the Service by a Committee consisting of members as given in Sehedule IV.
- (3) The selection shall be done on the basis of seniority-cum-merit.
- (4) The above rules shall be deemed to have come into force from 13.04.2017.

2. For Schedule - I, II and IV, the following Schedules shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE-1 (See Rule-5) Classification Pay Scale and Number of the Posts included in the service

	Number of	Numl	oer of Pos	sts	=	Pay Scale	Remarks
Name of Department	the Posts included in the service	Регтапея	Тешрюгагу	Total	Classification		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1. Assistant	196	1	197	Class II	56,100-1,77,500	55% of the
1	Conservator					Level-12 in the	sanctioned
! !	of Forest-					State Government	posts
	Junior Scale		}			Pay Revision Table	
	2. Assistant	90	-	90	Class l	67,300-2,06,900	25% of the
l ti	Conservator					Level-13 in the	sanctioned
Je	of Forest-		,			State Government	posts
5	Senior Scale					Pay Revision Table	
Forest Department	3. Assistant	54	-	54	-do-	79,900-2,11,700	15% of the
i di	Conservator	*				Level-14 in the	sanctioned
ļĞ	of Forest-					State Government	posts
St	Selection					Pay Revision Table	
<u>ě</u>	Grade						
ĮŌ	4. Assistant	18	-	18	-do-	1,23,100-2,15,900	5% of the
	Conservator					Level-15 in the	sanctioned
!	of Forest-					State Government	posts
:	Senior					Pay Revision Table	
i	Selection						
	Grade						
	Total	358	1	359			

SCHEDULE-II (See Rule-6)

Name of	Name	Total	Percentage of Number		Number of		Percentage
Department	of the	Sanction	of Posts to I		Sanction		of the Posts
ľ	servic e	Posts of	per colu	mn (3)	in the Pay Scale		mentioned
1		Assistant					in column
		Conservator				•	(6) to be
		of Forest in					filled as
		the cadre					under
			By direct	Ву	Pay Scale		Appointment
			Recruitment	Promotion		Number of Posts	(Time bound)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Forest	Madhya	359	33 1/3%	66 2/3%	Junior	197	•
Department	Pradesh				Pay		
1	State				Scale		
	Forest				Senior	90	100%
	Service				Pay		
			, ,,,,		Scale		
					Selection	54	100%
1	٠				Grade		
	ĺ				Senior	18	100%
					Selection		
					Grade		
Tota	1	359	~	-	-	359	-

SCHEDULE-IV (See Rule-16, 17, 23, 23(A) and 23(B))

Name of Department	Name of the Service or post from which promotion/time Scale is to be made	Name of the Service or post to which promotion/ time Scale is to be made	Minimum Qualification tenure/ Experience for promotion/time Scale	Member of the Departmental Promotion Committee	Remarks
1	. 3	4	5	6	7
Forest Department	Madhya Pradesh State Forest Service- Forest Ranger (Class-II)	Madhya Pradesh State Forest Service -Assistant Conservator of Forest-Junior Scale	As per Rule-17	1. Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or a Member of the Commission nominated by him - Chairman 2. Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Forest Department - Member 3. Principal Chief Conservator of Forest and Head of the Forest Force - Member 4. APCCF/CCF (Admin-II)	
		 		- Member Secretary 5. A Nominated Officer of Schedule Caste/Schedule Tribes Category of equivalent rank of Serial Number 4	
	2. Madhya Pradesh State Forest Service- Assistant Conservator of Forest-Junior Scale	Madhya Pradesh State Forest Service -Assistant Conservator of Forest -Senior Scale	As per Rule-23	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Forest Department -Chairman Principal Chief Conservator of Forest and Head of the Forest Force - Member APCCF/CCF (Admin-I)	
				- Membe 2. Additional Secretary / Deputy Secretary Government of Madhya Pradesh, Forest Department - Member Secretary 3. A Nominated Officer of Schedule Caste/Schedule Tribes Category of equivalent rank of Serial Number 3	
	3. Madhya Pradesh State Forest Service -Assistant Conservator of Forest -Senior Scale	Forest Service -Assistant Conserv	As per Rule-23 (A)	Do	

	4. Madhya Pradesh	Madhya	As per Rule-23 (B)	Do	
	State Forest Service	•	•		
٠.	-Assistant	Forest Service		•	
ì	Conservator of	-Assistant			
	Forest -	Conservator of			
	Selection Grade	Forest -Senior			
		Selection Grade			

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव